

प्रेषक, श्री अतुल कुमार क गुप्ता,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
 2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

विषय, : नजूल भूमि की फी—होल्ड नीति विषयक शासनादेश दिनांक 1.12.98 के प्रस्तर—3 का स्पष्टीकरण—आशिक भाग को फी—होल्ड कराया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—4—98—704एन0 / 97, दिनांक 1 सितम्बर, 1998 के प्रस्तर—3 में शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 1997 के प्रस्तर—3 (1)में पट्टागत भूमि के अंश भाग को फी—होल्ड कराये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा गया है। इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शासनादेश 26 सितम्बर, 1997 के प्रस्तर—3 की व्यवस्था ऐसी नजूल भूमि के सन्दर्भ में है जो दो सङ्को के मध्य (कार्नर) स्थित है तदनुसार जूल भूमि के फी—होल्ड विषयक प्रकाशित मार्गदर्शिका के पृष्ठ—6 के बिन्दु संख्या—4 “चालू पट्टे के अंश भाग को फी—होल्ड करना” में अंकित की गयी टिप्पणी के विषय में स्पष्ट किया जाता है कि दो सङ्को के मध्य (कार्नर)स्थित भूखण्डों के आंशिक भाग के फी—होल्ड कराये जाने की स्थिति में ही वर्णित शपथ—पत्र इस हेतु लिया जायेगा कि भविष्य म आवशेष भाग में फी—होल्ड कराये जाने की स्थिति में निर्धारित फार्मूले से फी—होल्ड हेतु धनराशि आंकित की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस शपथ—पत्र का प्रयोजन यह नहीं है कि भविष्य में फी—होल्ड कराने का “कमिटमेन्ट” करा लिया जाय, बल्कि यह कि भविष्य में कराये जाने पर अवशेष भाग पर भी वही फार्मूला लागू रहेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या—369(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (3). वित्त (ई)—6, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव